भीखीदेवी बनाम....अणदाराम (किस्म मुकदमा.....88,188,53 आरटीए............) मु0नं0 45 / 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व इस हुक्म
19.09.2022	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी पर सुनी गई।	

बहस के समय प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीनी ने समेंलाजी की पुत्री होने का हवाला देते हुऐ घोषणा का वादपत्र पेश किया है जबकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने नजीरो मे अधिमत जारी कर यह प्रतिपादीत किया कि पुत्री का हिस्सा 09.09.2005 के बाद विभाजनो पर लागु नही होता है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही मे Arunachala Gounder versus Ponnusamy प्रकरण में भी यह प्रतिपादीत किया की पुत्री की निर्वसियती मृत्यु के बाद उक्त सम्पति उसके पिता के वारीसान अर्थात प्रतिवादी के न्यायागत होगी।

वर्तमान प्रकरण मे भी वादीनी का देहान्त हो गया है व पुत्री के वारिसान का वादपत्र वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादपत्र खारिज करने का निवदेन किया।

वादीनी के वारीसान के अधिवक्ता ने प्रतिवादी की बहस का जवाब देते हुऐ निवदेन किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय पूर्व मे पारित किया है वो अधिरोपित किया जा चुका है अर्थात दिनांक 09.09.2005 के विभाजनो से पुर्व पुत्री का हक निर्णय के स्थान पर 1956 सें संशोधित किया गया है ऐसे में वाद विधि द्वारा वर्जित नही रहा है। हालाकी वादीनी के देहान्त हो चूका है लेकिन जिसकी तरफ से आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थनापत्र पेश किया जा चुका है अतःप्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित निणर्यो का सम्मान कर अवलोकन कर निर्देश प्राप्त किये गये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुसार पुत्री का निर्वसीयत देहान्त हो जाता है तो वह सम्पति पुनः पिता के वारीसान को न्यायागत होगी इसी प्रकरण में भी पुत्री का देहान्त हो चुका है अर्थात अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Arunachala Gounder versus Ponnusamy प्रकरण में दिये गये अधिमत अनुसार वर्तमान वादपत्र खारीज योग्य है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना